

# छत्तीसगढ़ शासन

## कार्यालय श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़

(खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0))

Email ID -cgic2012@gmail.com

Ph. No. - 0771-2443515

क्रमांक/श्र.आ./2020/ २०७१

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /03/2021

**16 MAR 2021**

प्रति,

समस्त नियोजक/अधिभोगी/कारखाना प्रबंधक/प्रोपराईटर/संस्था-प्रतिष्ठान प्रमुख (औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, टॉकिज, होटल एवं रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रासपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल स्टेट/कंस्ट्रक्शन कंपनी इत्यादि)

विषय:-कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम हेतु समुचित उपाय करने तथा नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश।

- संदर्भ:-1. कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/संचा/2020/152, दिनांक 19/03/2020.
2. छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्रमांक/2021/श्र.आ./2020, दिनांक 21/03/2020.
3. कार्यालय श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्रमांक/2395/संचा./2020, दिनांक 20/04/2020.

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्रों के द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक सावधानियां बरतने तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए थे। राज्य शासन के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु लगातार एस.ओ.पी. जारी किए गये हैं जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न कार्यवाही की गई है जिसमें बड़ी संख्या में कोरोना वायरस की टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन की कार्यवाही भी सम्मिलित है। राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि शासन द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुरूप अपेक्षित सहयोग नहीं किए जाने से कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपके संस्थान/कारखाने/उपक्रम में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

- कारखाने के प्रवेश द्वारा, कैंटीन, शिशु घर, वॉशरूम, टॉयलेट, ऑफिस बिल्डिंग, लेबर क्वार्टर, भवन उपकरण, लिफ्ट, सिंक, पानी के स्थान, दीवारे तथा सतहे, वाहनों, मशीनों, बैठक कक्षों, सम्मेलन हॉल, बरांडा, पोर्च, कैबिन तथा अन्य खुली जगह सहित सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईजेशन करने के पश्चात ही कारखाने में कार्य प्रारंभ करें।
- कारखाने में पर्याप्त मात्रा में नोज मास्क, दस्ताने, सेनेटाईजर एवं हैण्डवॉश की व्यवस्था करें। कार्यक्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाये। इस हेतु सभी कार्यक्षेत्र परिसर में हाथ धोने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाये।



- नियमित हॉउसकीपिंग व्यवस्था को बनाये रखे जिसमें नियमित सफाई, उपकरण और कार्य के वातावरण की अन्य तत्वों को कीटाणुरहित करे। अच्छे स्वच्छता की आदतों से भलीभांति परिचय कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जावे।
- समस्त कार्य स्थलों में सामाजिक दूरी (Social Distancing) के नियम का पालन किये जाये।
- कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिकों/कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करे।
- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे कर सेनिटाईज किया जावे।
- सुरक्षा की दृष्टिकोण से कारखाने का संचालन क्रमबद्ध रूप से करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
- श्रमिकों को श्वसन संबंधी रीति एवं सावधानियों के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें खांसी और छींक के दौरान मुंह को ढकना शामिल है। कोविड-19 संबंधित लक्षण पाये जाने पर उनके उपचार की व्यवस्था किया जावे।
- आस-पास के अस्पताल एवं क्लिनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो, को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराया जावे।
- कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घण्टे का समय अन्तराल रखा जावे तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी अन्तराल रखें।
- कारखाने में श्रमिकों/कर्मचारियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जावे। कार्यस्थल, बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम छः फीट की दूरी बनाकर रखा जावे।
- अपने श्रमिकों/कर्मचारियों को कोविड-19 के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा इसके बचाव हेतु कर्मचारियों को सावधानियाँ रखने के लिए प्रोत्साहित की जाये। इसके बचाव के संबंध में एस.ओ.पी. बनाया जाकर श्रमिकों को अवगत कराये।
- कोरोना वायरस कोविड -19 के लक्षणों एवं बचाव के साधनों हेतु जागरूकता अभियान चलाया जावे तथा इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हेतु संस्थान में बैनर, पोस्टर तथा नोटिस बोर्ड लगाया जावे।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार श्रमिकों/कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के संबंध में प्रोत्साहित करे। वैक्सीन लगवाने हेतु संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों को सुविधा अनुसार बारी-बारी से आवश्यक अतिरिक्त समय एवं सहूलियतें प्रदान की जाये।
- कोविड-19 से संक्रमित अथवा वैक्सीनेशन से प्रभावित किसी भी श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं किया जाये, सेवा छटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाये बल्कि उन्हें आवश्यकता अनुसार अवकाश एवं संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे। ऐसे समस्त परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित श्रमिक/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये।

- उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त

सह मुख्य कारखाना निरीक्षक,  
छत्तीसगढ़

पृ० क्रमांक/श्र.आ./2020/ २०७२  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /03/2021

16 MAR 2021

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, ....., छत्तीसगढ़।
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/उप संचालक मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर।
7. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर।
8. कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी जिला कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक संभाग/जिला कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त

सह मुख्य कारखाना निरीक्षक,  
छत्तीसगढ़